राजस्व वाद संख्या 72/2020
नरपतसिंह बनाम पेपसिंह वगैरा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 72/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00231

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.नरपतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह 2.रूपकंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी कोरना तहसील कल्याणपुर		1. पेपसिंह पुत्र मोड़सिंह 2. जगतसिंह पुत्र रूपसिंह 3. पवनकंवर बेवा नारायणयिह जाति राजपूत निवासी कोरना तहसील कल्याणपुर 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता वादीगण
2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

दिनांक— 07/11/2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा कोरना तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 758,1529/758 कुल रकबा 47.03 बीघा व इसी ग्राम की खेत खसरा संख्या 1531/765 रकबा 96.12 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 20.6.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय—पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कोरना तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 758,1529/758 कुल रकबा 47.03 बीघा व इसी ग्राम की खेत खसरा संख्या 1531/765 रकबा 96.12 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	नरपतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह हि. 1/2 रूप कंवर पत्नि ईश्वरसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत निवासी कोरणा खातेदार।	कोरना	1531/765 758	7.8185 1.9081	बा.दो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	कमलकंवर पुत्री जगतसिंह हि. 1/18 पेपसिंह पुत्र मोड़सिंह हि. 1/3 पवनकंवर पत्नि नारायणसिंह हि. 1/3 भवानीसिंह पुत्र जगतसिंह हि. 1/18 महेन्द्रसिंह पुत्र जगतसिंह हि. 1/18 राजेन्द्रसिंह पुत्र जगतसिंह हि. 1/18 शेरसिंह पुत्र जगतसिंह हि. 1/18 सजनकंवर पुत्री जगतसिंह हि. 1/18 जाति राजपूत निवासी कोरणा खातेदार।	कोरणा	1529/758 758	3.9578 1.7664	बा.दो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	पेंपसिंह पुत्र मोड़सिंह हिस्सा–पूर्ण जाति राजपूत निवासी–कोरणा खातेदार।	कोरणा	1531/765	7.8185	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री मुर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

07/11/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

07/11/2025
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 72/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00231

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.नरपतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह 2.रूपकंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी कोरना तहसील कल्याणपुर		1. पेपसिंह पुत्र मोड़सिंह 2. जगतसिंह पुत्र रूपसिंह 3. पवनकंवर बेवा नारायणयिह जाति राजपूत निवासी कोरना तहसील कल्याणपुर 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः–53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 72/2020
निर्णय दिनांक :–07.11.2025

वादीगण की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 07.11.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** कि:–वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 07.11..2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 07/11/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	———	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा